V-190
Cr. J.(E)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE Cr.P.C.

IN THE COURT OF NIKITA CHOUHAN, J.M.F.C. BHAINSDEHI

Case No.- Sum/133/23 24/3/23 Complaint or report made on 300/22

Name, Parentage caste & Address of Accused

दिवान जी S/o ज्वार सिंह उम्र 41 जाति गोंड़ नि० उगरापाला

The offence complained of and date of its alleged commission

आपने दिनांक 11/07/22 को 18:00 बजे उगरापाला पर मध्य प्रदेश आबकारी अधि0 के अधीन बनाये गये नियम या आदेश या शर्त के उल्लंघन में 12 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा को कब्जे में रखा।

इस प्रकार आपने मध्य प्रदेश आबकारी अधि0 की धारा 34(1)(क) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया।

(निकीता चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
भैंसदेही

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है।

दिवानजी

(निकीता चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
भैंसदेही

The offence proved, if any, & in case under clause, (d) clause, (e), clause, (f) or claus (g), or sub-section 260 the value of the property in respect of which the offence has bee commited.

न्यायालय :– निकीता चौहान न्यायिक मजिस्टेट, प्रथम श्रेणी, भैंसदेही (म0प्र0)

!! (निर्णय) !!

(आज दिनांक 29/03/23 को घोषित किया गया)

01. आरोपी कों आबकारी अधि0 की धारा 34(1)(क) के अन्तर्गत अपराध विवरण पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने स्वेच्छया, बिना किसी दबाब के अपराध करना स्वीकार किया है। अतः आरोपी के अभिवाक् को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अपराध के लिये दोषसिद्व ठहराया जाता है।

02. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को परिवीक्षा अधि0 का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी को आबकारी अधि0 की धारा 34(1)(क) के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 5000/-....... के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. आरोपी द्वारा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उसे प्रत्येक अपराध के लिए 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावें।

04. प्रकरण में जप्तशुदा 12 पाव्वा देशी शराब अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावें।

निर्णय आज दिनॉक को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(निकीता चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भैंसदेही जिला बैतूल म.प्र.

मेरे निर्देशानुसार लेखबद्ध किया गया।

(निकीता चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भैंसदेही जिला बैतूल म.प्र.